सामाहरणालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)

आदेश

निदेशक,पर्यटन निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक-02 दिनांक-03/02/2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष- 3452 पर्यटन (गैर योजना) उप मुख्य शीर्ष- 80 सामान्य, लधु शीर्ष- 001,निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष- 0001 निदेशालय, मांग संख्याँ- 46 एवं विपत्र कोड- एन 345280001000I के अन्तर्गत ईकाई संख्याँ-2002 कॉन्फेंस,कार्यशाला, सेमिनार मद में सिंहेश्वर महोत्सव के आयोजनार्थ मो0-10,00,000/-(दस लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है,जिसे सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत राशि की निकासी हेतु प्राप्त आवंटन की शत प्रतिशत राशि जिला नजारत उप समाहर्त्ता,मधेपुरा को उपावंटित किया जाता है।

(1)उक्त राशि का व्यय सिंहेश्वर महोत्सव के अवसर पर होनेवाले विभिन्न कार्य मदों के लिये यथा-स्टेज,दीर्धा,लाईट एण्ड साउण्ड,बैठने की व्यवस्था,बैरेकेडिंग, आमंत्रण कार्ड मुद्रण,प्रचार प्रसार एवं अन्य विविध कार्य इत्यादि व्यय व्यवस्था हेतु की जायेगी, परंतु व्यय पर सावधानी वरती जायेगी।

(2)उपावंटित राशि का विचलन अन्य कार्यो में नहीं किया जाएगा।

(3)यह उपावंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ-2561 दिनांक-17/04/1998 के अनुसरण में व्यय किया जाएगा।

(4)उपावंटित राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता,2011 के विहित विपत्र एवं विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को सलंग्न किया जाना आवश्यक होगा।निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाएगा।

(5)कार्यालय में निकासी एवं व्यय सम्बंधी पंजी का संधारण विधिवत किया जायेगा।

(6) उपावंटित राशि का व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25/03/2016 तक जिला सामान्य शाखा,मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसकी सूचना सम्बंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-307/सा0,मधेपुरा दिनांक- 15.02.2016

प्रतिलिपि-जिला नजारत उप समाहर्त्ता,मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को (आवंटनादेश पत्रांक-02 दिनांक-03/02/2016 सलंग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति,सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक,पर्यटन निदेशालय, बिहार पटना को उनके पत्रांक-02 दिनांक- 03/02/2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा।